# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/12/2025 रजू दिनांकः 13.05.2025 रजि0 न0 2025/131

**अपीलार्थीः–**

श्री विजय गुप्ता पुत्र श्री प्रभूदयाल गुप्ता, 9 फ्रेंड्स कॉलोनी, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

**प्रत्यर्थीः–**

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 09.06.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 08.04.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र दिनांक 03.05.2025 न्यायालय को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20.05.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ प्रत्यर्थी एवं संबंधित कार्यालय से प्राप्त जवाब पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी के पत्रांक 1046 दिनांक 20.05.2025 के कम में तहसीलदार अलवर द्वारा पत्रांक भू.अ./2025/3360 दिनांक 23.05.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व सूचना आवेदन दिनांक 08.04.2025 के परिपेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। जिसके प्रतिउत्तर में कार्यालय के पत्रांक 2708 दिनांक 02.05.2025 के द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी को सूचित कर गया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब मय संलग्नक के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में कार्यालय पत्रांक भू.अ./2025/3360 दिनांक 23.05.2025 के माध्यम से लोक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी को सूचित किया जाकर विनिश्चय किया जा चुका है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(योगेश कुमार डागुर)
अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)